(1)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना

क्रमांक/4910/अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक 19 सितंबर, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2011 कार्यवृत्त क्रमांक 4847/अका./कार्यपरिषद/2011 दिनांक 15.09.2011 में पद क्रमांक–1 पर लिए गए निर्णय –

"विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.07.2011 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु क्रमांक–1 में निम्नलिखित संशोधन के साथ एवं आपातिक बैठक दिनांक 28.07.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

"नियम 15(1) अस्थायी अग्रिम की अधिकमतम सीमा शासकीय सेवक के ग्रेड वेतन का दस गुणा के समान होगी।"
आंशिक अंतिम आहरण हेतु मूलवेतन (निर्धारित वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) होगा, शेष शर्तें यथावत रहेगी। कुल जमा राशि का 50% या 60 माह का मूलवेतन (निर्धारित वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन) जो भी कम हो।"

टंकण त्रुटिवश 06 माह के स्थान पर 60 माह टंकित हो गया है।" अतः 60 माह के स्थान पर 06 माह पढ़ा जाए।"

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/4911/अका./कार्यपरिषद/2011 रायपुर, दिनांक 19 सितंबर, 2011

प्रतिलिपिः

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/आवासीय अंकेक्षण
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना

क्रमांक /4965/ अका. / का.प. / 2011 रायपुर, दिनांक 28 सितंबर, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2011 कार्यवृत्त क्रमांक 4847 / अका. / कार्यपरिषद / 2011 दिनांक 15.09.2011 में पद क्रमांक--9 पर लिए गए निर्णय –

डॉ. संजय तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को फूलब्राइट रिसर्च फेलो हेतु पूर्व अनुमति दिनांक 01.12.2010 से 31.07.2011 को दिनांक 01.08. 2011 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई।

''टंकण त्रुटिवश दिनांक 30.08.2011 के स्थान पर दिनांक 01.08.2011 टंकित हो गया है।'' अतः 01.08.2011 के स्थान पर 30.08.2011 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई, पढ़ा जाए।''

कुलसचिव

पृ.क्रमांक /4970/ अका. / कार्यपरिषद / 2011 रायपुर, दिनांक 28 सितंबर, 2011

प्रतिलिपिः

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / वित्त नियंत्रक / आवासीय अंकेक्षण
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक /1841/अका./कार्यपरिषद/2011 रायपुर, दिनांक 15 सितंबर, 2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक सोमवार, दिनांक 12.09.2011 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	डॉ.एस.के.पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.(श्रीमती) आभा रुपेन्द्र पाल	–	सदस्य
3.	प्रो.(श्रीमती) ज्योति रवि तिवारी	–	सदस्य
4.	प्रो. ए.के. पति	–	सदस्य
5.	प्रो. बी.के.शर्मा	–	सदस्य
6.	प्रो. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ. जगदीश गंगवानी	–	सदस्य
8.	डॉ. आर.बाला सुब्रमनियम	–	सदस्य
9.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
10.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
11.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
12.	श्री एस.के.चक्रवर्ती	–	सदस्य
13.	डॉ.जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
14.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
15.	डॉ. उज्ज्वल पाटनी	–	सदस्य
16.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
17.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
18.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
19.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
20.	डॉ. शिवकुमार डहरिया	–	सदस्य
21.	श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक–1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.07.2011 एवं आपातिक बैठक दिनांक 28.07.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.07.2011 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु क्रमांक–1 में निम्नलिखित संशोधन के साथ एवं आपातिक बैठक दिनांक 28.07.2011 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।**

"नियम 15(1) अस्थायी अग्रिम की अधिकमतम सीमा शासकीय सेवक के ग्रेड वेतन का दस गुणा के समान होगी।
आंशिक अंतिम आहरण हेतु मूलवेतन (निर्धारित वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड वेतन) होगा, शेष शर्तें यथावत रहेगी। कुल जमा राशि का 50% या 60 माह का मूलवेतन (निर्धारित वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन, जो भी कम हो)"

विषय क्रमांक–2

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.07.2011 एवं आपातिक बैठक दिनांक 28.07.2011 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.07.2011 एवं आपातिक बैठक दिनांक 28.07.2011 के निर्णय का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

विषय क्रमांक–3

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.08.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय: **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.08.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–4

महाराणा प्रताप होम्योपैथिक महाविद्यालय, रायपुर के केन्द्राध्यक्ष द्वारा B.H.M.S.-IV year की दिनांक 22.07.2011 को आयोजित मेडिसिन प्रथम प्रश्नपत्र के स्थान पर दिनांक 25.07.2011 को आयोजित मेडिसिन द्वितीय प्रश्नपत्र निर्धारित तिथि से पूर्व खोले जाने के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय: **महाराणा प्रताप होम्योपैथिक महाविद्यालय, रायपुर के केन्द्राध्यक्ष द्वारा B.H.M.S.-IV year की दिनांक 22.07.2011 को आयोजित प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन प्रथम प्रश्नपत्र के स्थान पर दिनांक 25.07.2011 को निर्धारित मेडिसिन द्वितीय प्रश्नपत्र निर्धारित तिथि से पूर्व खोले जाने के प्रकरण पर–**

(i) डॉ.एस.के.ओझा, प्राचार्य एवं केन्द्राध्यक्ष को तीन वर्ष के लिए परीक्षा कार्य से वंचित किया जावे।

(ii) महाराणा प्रताप होम्योपैथिक महाविद्यालय को तीन वर्ष तक केन्द्र न बनाया जाय।

(iii) इसकी सूचना समस्त विश्वविद्यालय एवं होम्योपैथिक कौंसिल को भी भेजी जाय।

विषय क्रमांक–5

शिक्षा सत्र 2011–12 के लिए भूगोल अध्ययनशाला में 10 अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश की अनुमति के संबंध में कुलपति जी द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **शिक्षा सत्र 2011–12 के लिए भूगोल अध्ययनशाला में 10 अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए कुलपति जी द्वारा दी गई अनुमति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–6

अपलेखन समिति के गठन पर विचार करना।

निर्णय: **अपलेखन समिति में कार्यपरिषद के द्वारा मनोनीत सदस्य के लिए प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर का नाम अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक–7

प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम बालसी, सरायपाली, जिला–महासमुंद को सत्र 2011–12 में बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 छात्र संख्या के अध्ययन–अध्यापन हेतु अस्थायी संबद्धता की आदेश जारी किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः प्रतिभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम बालसी, सरायपाली, जिला-महासमुंद को सत्र 2011–12 में बी.एड. पाठ्यक्रम में 100 छात्रों के अध्ययन–अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई अस्थायी संबद्धता की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक -8

क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.08.2011 के कार्यवृत्त अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद की आगामी बैठक में निम्नलिखि जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाय--

(i) जिम में उपलब्ध उपकरण का उपयोग एवं इस संबंध में कार्यपरिषद के पूर्व निर्णय अनुसार कार्यवाही की जानकारी।

(ii) जिन मदों पर पारिश्रमिक / मानदेय / सबसिडी प्रस्तावित है, उस में कुल अतिरिक्त व्यय एवं इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी।

विषय क्रमांक–9

डॉ. संजय तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को फूलब्राइट रिसर्च फेलो हेतु 30.08.2011 तक वृद्धि / अनुमति हेतु अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : डॉ. संजय तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला को फूलब्राइट रिसर्च फेलो हेतु पूर्व अनुमति दिनांक 01.12.2010 से 31.07.2011 को दिनांक 01.08. 2011 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची :

क्रमांक–1

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक 3146 / Gen.Adm./11 dated 12-08-2011 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक 3146 / Gen.Adm./11 dated 12-08-2011 की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यपरिषद को जानकारी दी गई कि स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

जिन विभागों में आवेदक नहीं मिलने अथवा पात्रता नहीं होने के कारण संविदा पर नियुक्ति नहीं हो सकी, उन विभागों में अध्ययन-अध्यापन कार्य सुचारु रूप से संचालित करने हेतु अंशकालिक अथवा अतिथि–प्राध्यापक लिये जाने की अनुमति दी गई है।

क्रमांक– 2

संशोधित विनियम क्रमांक 91 में संशोधन / समावेशन किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : संशोधित विनियम क्रमांक 91 में संशोधन / समावेशन के संबंध में हुई चर्चानुसार संबंधित समिति कार्यपरिषद की आगामी बैठक में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

क्रमांक - 3

विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की आयोजित बैठक दिनांक दिनांक 06.09.2011 की कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की आयोजित बैठक दिनांक 06.09.2011 की कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

क्रमांक - 4

श्री नंदकुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की सेवा अवधि बढ़ाये जाने की सूचना ग्रहण एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : श्री नंदकुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी की सेवा अवधि दिनांक 03.05.2011 से 6 माह वृद्धि किये जाने संबंधी सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

क्रमांक -5

श्री बी.पी. भंवर, सहायक यंत्री, निलंबित के प्रकरण पर छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2991/एफ/15-1/38-1/2011 दिनांक 25.08.2011, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2347/एफ/15-2/2010/38-2 दिनांक 06.07.2011 एवं लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 34210082/स्था./2011 दिनांक 16.06.2011 विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.10.2008 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में श्री बी.पी.भंवर, सहायक यंत्री को आदेश क्रमांक 2637/सा.प्रशा./2008 दिनांक 13.10.2008 द्वारा निलंबित किया गया।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 13.10.2009 विषय क्रमांक-5 में श्री बी.पी.भंवर (निलंबित) के प्रकरण पर जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन- अमान्य करते हुए पुनः विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.12.2009 में जांच कार्य उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को सौंपने का निर्णय लिया गया।

''उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2347/एफ-15-2/2010/38-2 दिनांक 06.07.2011 द्वारा लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 34210082 दिनांक 16.06.2011 का जिक करते हुए सूचित किया गया कि श्री भंवर के विरूद्ध उक्त विभाग द्वारा जांच किया जाना उचित नहीं है, बताते हुए अन्य एजेंसी के संबंध में जानकारी से तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।''

भिलाई इस्पात संयंत्र से छड़ क्रय परिवहन के संबंध में अपराध क्रमांक 245/09 धारा 420, 409 भा.द.वि. कायम कर विवेचना किया गया। विवेचना पूर्ण होने से दिनांक 20.08.2010 को प्रकरण में चालान क्रमांक 168/10 दिनांक 08.08.2010 तैयार कर माननीय न्यायालय, रायपुर में प्रस्तुत किया गया, जिसका प्रकरण क्रमांक 551/10 दिनांक 20.08.10 है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

कार्यपरिषद के निर्णय दिनांक 30.12.2009 के आधार पर विभागीय जांच की कार्यवाही अभी लंबित है। जबकि श्री बी.पी.भंवर (निलंबित) का निलंबन अवधि 3 वर्ष पूर्ण होने को है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शर्तों के साथ श्री बी.पी.भंवर (निलंबित) का निलंबन बहाल किया जावे :

(i) निलंबन अवधि का निराकरण न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 551/10 एवं विभागीय जांच के निर्णय के बाद किया जावे।
(ii) कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.12.2009 के निर्णय के अनुसार विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी।
(iii) श्री भंवर को प्रकरण के निराकरण होने तक भवन निर्माण संबंधी कार्य नहीं सौंपा जावे।

अन्य निर्णय :

1. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर ने पत्र क्रमांक 2641/तक/11-12 दिनांक 2.6.2011 के द्वारा सूचित किया है कि इंजीनियरिंग स्टाफ द्वारा अधूरे भवनों के मूल्यांकन कार्य में सहयोग नहीं किया। प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित उपयंत्री श्री रूपेश शर्मा ने मूल्यांकन कार्य में सहयोग नहीं किया, जिसके कारण निर्माणाधीन भवन अधूरे पड़े हैं, तथा समय पर उनका उपयोग संभव नहीं हो सका है। अतः श्री रूपेश शर्मा पर विश्वविद्यालय कार्य में सहयोग नहीं करने के कारण नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे।

2. समस्त अधूरे भवन का मूल्यांकन की कार्यवाही शीघ्र संपन्न की जावे, ताकि लंबित भुगतान का निराकरण कराकर निर्माणाधीन भवनों को पूरा कराया जावे, ताकि इनका समुचित उपयोग हो सके।

क्रमांक–6

सत्र 2011–12 में बी.एड. की फीस रु. 22000/– से बढ़ाकर रु. 25000/– एवं एम.एड. की फीस रु. 35000/– से बढ़ाकर रु. 38000/– किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सत्र 2011–12 में बी.एड. की फीस रु. 25000/– एवं एम.एड. की फीस रु. 38000/– किये जाने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से–

क्रमांक–1

रिजल्ट प्रोसेसिंग सत्र 2011 की राशि रु. 30,00,104/– के भुगतान के संबंध में।

निर्णय : रिजल्ट प्रोसेसिंग सत्र 2011 के संबंध में प्राप्त देयक राशि रु. 30,00,104/– के भुगतान हेतु प्राप्त देयक के विरूद्ध रु. 29,85,687/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि में से 5% राशि रोककर एवं पूर्व में दिए गए अग्रिम रु. 15,00,000/– का समायोजन करते हुए भुगतान करने के लिए अनुमोदन किया गया।

क्रमांक–2

शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुर के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि दिनांक 09.05.2011 को प्रथम पाली में संचालित बी.एस.सी. भाग–एक, दो एवं तीन कम्प्युटर साइंस की परीक्षा में सामूहिक नकल प्रकरण होने के कारण संबंधित प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त किया जावे। शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुर को आगामी तीन वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जावे। मान्यता समाप्त करने की नोटिस दी जावे।

क्रमांक 5

UGC-MRP Purchase of Semiautomatic Microtome Regarding.

निर्णय : UGC-MRP Purchase of Semiautomatic Microtome उपकरण क्रय नियम के अंतर्गत क्रय करने हेतु रु. **5,31,000/- की प्रशासकीय अनुमोदन किया गया।**

क्रमांक 4

(वित्त निर्देश 06/2011, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर के पत्र क्रमांक 45/सी-18029/वित्त/नियम/चार/2011 दिनांक 01.03.2011)

(i) शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों के दरों के पुनरीक्षण को विश्वविद्यालय में अंगीकार किया गया। पात्रतानुसार हवाई यात्रा के लिए अनुमति का अधिकार कुलपति को होगा।

(ii) चिकित्सा विषय से संबंधित परीक्षक (स्नातकोत्तर) एवं शोध की मौखिकी परीक्षा के लिए उपस्थित बाह्य विषय-विशेषज्ञों को कुलपति की पूर्व अनुमति की शर्त पर पात्रतानुसार हवाई यात्रा का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

(डॉ.एस.के.पाण्डेय)
कुलपति
अध्यक्ष

(के.के.चन्द्राकर)
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक/1848/अका./कार्यपरिषद/2011 रायपुर, दिनांक 15 सितंबर, 2011

प्रतिलिपि:

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्य,
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक,

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव (अका.)